–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 104/2020

उनवान

आसीन पुत्र जफरू खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम बिठुर, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. सत्यनारायण
2. बीरम पि. श्रवण जाति खाती निवासी (अजबा का बाडिया), बाघसुरी, नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 व 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.10.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के वंर्किग खसरा नम्बर 461 रकबा 2–3–0 के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.10 व 449 रकबा 0.25 की आराजी वादी आसीन खां ने दिनांक 07.07.1995 को विक्रता रामचन्द पुत्र सुवा से क्रय कर प्रतिफल राशि का भुगतान किया व कब्जा प्राप्त किया। विक्रेता रामचन्द की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है के वारिस तीन भाई सत्यनारायण व बीरम (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) तथा तीसरा भाई नौरत अविवाहित फौत हो गया है। क्रय दिनांक से वादी आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख्स में आराजी मुतनाजा विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से विक्रेता के पिता सुवा पुत्र देवा खाती के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा वर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को [illegible] किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीग[illegible]रियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील [illegible] ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:57 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में [illegible]स्व अभिलेख व विक्रय[illegible]श किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर

मनन किया। ग्राम बाघुसरी के वंर्किग खसरा नम्बर 461 रकबा 2–3–0 की आराजी रामचन्द्र पुत्र सुवा ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र वादी को दिनांक 07.07.1995 को बैचान कर दी थी। उक्त विक्रय पत्र पंजीकृत होने से जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी खाता संख्या 880 में विक्रेता के पिता सुवा पुत्र देवा की खातेदारी में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 461 के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.10 व 449 रकबा 0.25 बने है, जो हाल जमाबंदी में भी विक्रेता के पिता सुवा पुत्र देवा की खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत शजरा शपथ पत्र अनुसार सुवा पुत्र देवा की मृत्यु हो गयी है तथा सुवा पुत्र देवा ने विक्रेता रामचन्द्र को गोद लिया था। विक्रेता रामचन्द्र पुत्र सुवा की भी नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। विक्रेता रामचन्द्र के जायन्दा पिता श्रवण थे जिनके 4 पुत्र विक्रेता रामचन्द्र, सत्यनारायण व बीरम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा नौरत जो नाऔलाद फौत हो गया है थे। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पेरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। राजस्व अभिलेख में उक्त विक्रय पत्र की पालना नही होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.10 व 449 रकबा 0.25 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

आसीन बनाम सत्यनारायण

दावा बाबत :– 88 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 104/2020
पेश करने की दिनांक – 17.09.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 448 रकबा 0.10 व 449 रकबा 0.25 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमद दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 10 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मि

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद